

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार

मिसल संख्या : 09/17

किस्म मुकदमा : 17/17

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.2017

निर्णय दिनांक : 03.10.2017

राजस्थान सरकार बनाम जितमल, किशनलाल पि0 हनुमानराम
जाति स्वामी नि0 कुचामन सिटी

—: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जितमल पुत्र हनुमानराम स्वामी वैगराह निवासी कुचामन सिटी नें ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2679/2372 कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर में से रकबा 1.62 हैक्टर किस्म गै. मु. खारड़ा भूमि पर सम्वत 2074 में डोल लगाकर व कास्त कर (मक्का 0. 50 है0) अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियों को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटीस की प्रति गैर सायलान स्वयं ने प्राप्त कि। गैर सायलान अनुपस्थित रहे।

गैर सायलान आज दिनांक को भी अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई गैर सायलान का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायलान ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 2679/2372 कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर गै.मु. खारड़ा भूमि में से रकबा 1.62 हैक्टेयर अर्थात् सम्पूर्ण भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायलान पर लगान 8.10 का पच्चास गुणा से



(2)

राशि 405/- अक्षरे चार सौ पांच रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायलान को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भीमसिंह लेखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर -राज0